उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 6 | अंक 6 | 16-31 मार्च 2023 | ₹ 20/-

कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण खत्म

- असम के सभी मदरसों को बंद करने की संभावना
- इजरायल में अभूतपूर्व राजनीतिक संकट
- ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आवास पर रोजा इफ्तार
- फांसी की सजा पाने वाले चार आरोपी बरी

परामर्शदाता
डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

कार्यालय
डी–51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली–110016
दूरभाषः 011–26524018

E-mail:
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.ipf.org.in

मुद्रक–प्रकाशकः मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए डी–51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली–110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए–102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस–2, नई दिल्ली–110020 से मुद्रित

*अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

अनुक्रमणिका

सारांश 03

राष्ट्रीय

कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण खत्म 04
जाकिर नाइक के ओमान यात्रा पर विवाद 06
असम के मुख्यमंत्री ने दिया सभी मदरसों को बंद करने का संकेत 07
सर्वोच्च न्यायालय की नई पीठ में बिलकिस बानो केस की सुनवाई 09
औरंगाबाद का नाम बदलने का विवाद फिर उभरा 11

विश्व

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आवास पर रोजा इफ्तार का आयोजन 14
खाद्य पदार्थों की मूल्य वृद्धि का समाचार देने पर पत्रकार गिरफ्तार 15
डेनमार्क में फिर से जलाया गया कुरान 15
तालिबान से भयभीत न्यायाधीश छह महीने से अपने घर में बंद 16
पाकिस्तान में आतंकवादियों द्वारा एक ब्रिगेडियर की हत्या 17

पश्चिम एशिया

इजरायल में अभूतपूर्व राजनीतिक संकट 18
सीरिया में अमेरिकी अड्डे पर हमला 20
सऊदी अरब में हाजियों के स्वागत की तैयारियां 21
ईरान में मजार पर हमले के दो आरोपियों को सजा-ए-मौत 22
सऊदी अरब में एक दुर्घटना में 20 व्यक्ति मरे 23

अन्य

फांसी की सजा पाने वाले चार आरोपी बरी 24
बेंगलुरु में अरबों की वक्फ संपत्ति कौड़ियों में बेचने का आरोप 24
जबरन हिजाब उतारने वाले सात व्यक्ति गिरफ्तार 25
आतंकियों को विदेशी धन पहुंचाने के आरोप में पांच गिरफ्तार 25
अजान की अनुमति न मिलने पर इमाम की हत्या 25

सारांश

कर्नाटक सरकार ने मुसलमानों को दिए जा रहे चार प्रतिशत आरक्षण को समाप्त करने की घोषणा की है। सरकार के अनुसार अब इस आरक्षण को वोक्कालिगा और लिंगायत समुदाय के साथ-साथ पिछड़े मुसलमानों में भी बांटा जाएगा। बताया जाता है कि कर्नाटक में मुसलमानों को आरक्षण देने का यह सिलसिला पिछले 27 वर्षों से चल रहा था। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बताया कि धर्म के आधार पर किसी भी समुदाय को आरक्षण नहीं दिया जा सकता। क्योंकि यह संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है और इसलिए राज्य सरकार ने इस आरक्षण को समाप्त करने का फैसला किया है।

राज्य सरकार के इस फैसले का समर्थन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी किया है। उन्होंने कहा कि किसी भी समुदाय को धर्म के आधार पर आरक्षण देना असंवैधानिक है। जबकि कांग्रेस और मुस्लिम संगठनों ने राज्य सरकार के इस फैसले की आलोचना की है और इसे मुस्लिम विरोधी करार दिया है। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डी.के. शिवकुमार ने यह घोषणा की है कि अगर विधानसभा के चुनाव के बाद कांग्रेस सत्ता में आती है, तो मुस्लिम आरक्षण को बहाल किया जाएगा।

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कर्नाटक में एक जनसभा को संबोधित करते हुए यह घोषणा की कि नए हिंदुस्तान में इस्लामिक मदरसों के वजूद को बरकरार रखने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए राज्य सरकार ने असम के 400 से अधिक इस्लामिक मदरसों को सामान्य स्कूलों में बदल दिया है। यह कदम इसलिए उठाया गया है, ताकि मुस्लिम बच्चे भी विज्ञान और गणित आदि विषयों की शिक्षा प्राप्त करके मुख्यधारा में शामिल हो सकें। अभी तक मदरसों में इन विषयों की शिक्षा का कोई प्रबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि हम मुसलमानों का विकास चाहते हैं और हमारे इस कार्यक्रम को स्थानीय मुसलमानों का पूरा समर्थन मिल रहा है।

ब्रिटेन की एक खबर काफी चौकाने वाली है। ब्रिटेन के इतिहास में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने अपने सरकारी आवास में 'रोजा इफ्तार पार्टी' का आयोजन किया और उसमें न सिर्फ कुरान का पाठ किया गया, बल्कि नमाज से पूर्व अजान भी दी गई। इस रोजा इफ्तार पार्टी में ब्रिटेन में रहने वाले मुसलमान नेताओं को आमंत्रित किया गया था। रोचक बात यह है कि ब्रिटेन के अनेक महत्त्वपूर्ण मंत्रियों ने भी इस आयोजन का समर्थन किया है और कहा है कि इससे सामाजिक सद्भावना में बढ़ोतरी होगी।

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू एक नई उलझन में फंस गए हैं। उन्होंने इजरायली संसद में एक विधेयक पारित करवाया था, जिसमें संसद को इस बात का अधिकार दिया गया था कि वह किसी भी अदालती फैसले को लागू करने से रोक सकती है। संसद में यह विधेयक पारित तो हो गया, मगर जनता में इसका प्रबल विरोध शुरू हो गया। पिछले 12 सप्ताह से इजरायली जनता देश भर में उग्र प्रदर्शन करते हुए इस विधेयक का विरोध कर रही है।

हद तो यह है कि इजरायली मंत्रिमंडल में भी इसके विरोध में स्वर काफी मुखर हो गए। इसे देखते हुए प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इजरायल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट को उनके पद से बर्खास्त कर दिया। उनके इस कदम से विपक्ष के रूख और जनता के प्रदर्शनों में और भी तेजी आ गई है। हवा के रूख को देखते हुए नेतन्याहू ने यह घोषणा की है कि वे फिलहाल एक महीने तक इस विधेयक को कानून का रूप नहीं देंगे। मगर उनकी इस घोषणा से विपक्ष संतुष्ट नहीं हुआ और उसने अपने आंदोलन को जारी रखने की घोषणा की है।

कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण खत्म

सालार (25 मार्च) के अनुसार कर्नाटक की भाजपा सरकार ने सरकारी नौकरियों और शिक्षा के क्षेत्र में मुसलमानों को मिल रहे चार प्रतिशत आरक्षण को समाप्त कर दिया है और इसे राज्य के राजनीतिक दृष्टि से शक्तिशाली वर्ग वोक्कालिगा और लिंगायत समुदाय में बांट दिया है। हालांकि, सरकारी घोषणा में यह भी कहा गया है कि इसमें से कुछ प्रतिशत आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर मुसलमानों को भी दिया जाएगा। परंतु इस बात का स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि मुसलमानों को कितना प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने इस निर्णय की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार के ताजा फैसले के अनुसार मुसलमानों को दिया जाने वाला आरक्षण अब समाप्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इससे वोक्कालिगा और लिंगायत के अतिरिक्त आर्थिक रूप से पिछड़े मुसलमानों को दिया जाएगा।

सरकार के इस फैसले से वोक्कालिगा समुदाय को अब चार की बजाय छह प्रतिशत और लिंगायत समुदाय को पांच की बजाय सात प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि दलित और आदिवासी वर्ग को चार वर्गों में विभाजित करके उनकी जनसंख्या के अनुपात से आरक्षण देने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि देश के सात राज्यों में धार्मिक अल्पसंख्यकों को आरक्षण प्राप्त नहीं है और इसी के आधार पर राज्य सरकार ने यह फैसला किया है।

सियासत (28 मार्च) के अनुसार कर्नाटक में मुसलमानों के आरक्षण को समाप्त किए जाने पर टिप्पणी करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। कर्नाटक के बीदर में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने

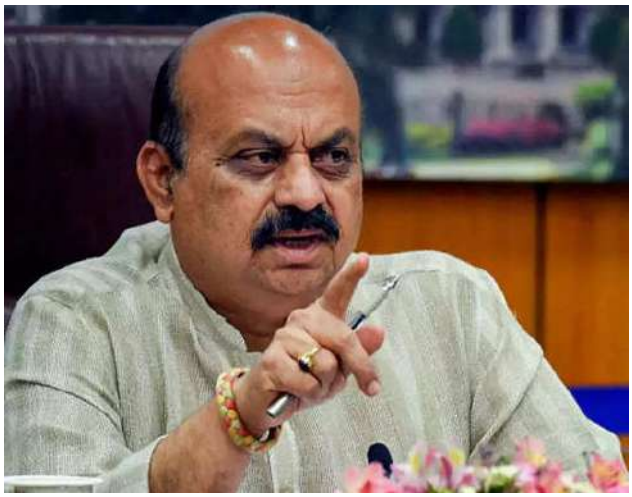

कहा कि कांग्रेस की पुरानी सरकार ने मुसलमानों को आरक्षण देने का जो सिलसिला शुरू किया था, वह असंवैधानिक था। उन्होंने कहा कि वोटों के ध्रुवीकरण के लिए कांग्रेस ने मुसलमानों को आरक्षण दिया था। भाजपा ने इस आरक्षण को समाप्त कर दिया है और वोक्कालिगा और लिंगायत समुदाय के आरक्षण में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है।

हमारा समाज (25 मार्च) के अनुसार जमीयत उलेमा के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने राज्य सरकार के इस फैसले की कड़ी निंदा की है और कहा है कि यह आरक्षण गत 27 वर्षों से जारी था और इसे हटाने से देश के विकास को धक्का लगेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सरकार दोहरी नीति अपना रही है। उन्होंने कहा कि एक ओर तो देश के प्रधानमंत्री पसमांदा मुसलमानों के हमदर्द होने का दावा कर रहे हैं। दूसरी ओर, उनकी सरकार ने कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण को समाप्त कर दिया है और वोट बटोरने के लिए राजनीतिक दृष्टि से राज्य के दो सशक्त वर्गों में उसे बांट दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकारी आंकड़ों से कई बार इसकी पुष्टि हो चुकी है कि देश के मुसलमान सबसे ज्यादा पिछड़े हुए हैं, इसलिए वे आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण के हकदार हैं। लेकिन धर्म को आधार बनाकर भाजपा देश के मुसलमानों को इससे वंचित करती आ रही है।

सालार (28 मार्च) के अनुसार राज्य के मुसलमान कर्नाटक सरकार के इस फैसले के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटा रहे हैं। इस संदर्भ में वरिष्ठ विधिवेत्ताओं से विचार-विमर्श किया जा रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता के. रहमान खान ने कहा है कि उन्होंने इस संदर्भ में कर्नाटक के पूर्व एडवोकेट जनरल रवि वर्मा कुमार, नजीर अहमद और अब्दुल जब्बार के साथ विचार-विमर्श किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो फैसला किया है, वह असंवैधानिक है। इस संदर्भ में राज्य के मुसलमान नेताओं की एक बैठक भी बुलाई जा रही है, जिसमें इस मुद्दे पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

इत्तेमाद (27 मार्च) के अनुसार कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डी.के. शिवकुमार ने इस फैसले की निंदा करते हुए कहा है कि कांग्रेस अगर सत्ता में आई, तो डेढ़ महीने के अंदर मुस्लिम आरक्षण को फिर से बहाल कर दिया जाएगा।

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस संदर्भ में बयान देकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को यह आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि हैवनूर आयोग की रिपोर्ट के आधार पर मुसलमानों के सामजिक और आर्थिक पिछड़ेपन के कारण यह आरक्षण दिया गया था।

सालार (26 मार्च) के अनुसार कर्नाटक के अमीर-ए-शरीयत मौलाना सगीर अहमद रशदी ने कहा है कि राज्य सरकार का यह फैसला मुस्लिम विरोधी और असंवैधानिक है। उन्होंने राज्य के मुसलमानों से अपील की कि वे शांत रहें और अपनी लड़ाई कानूनी तौर पर लड़ें। मुस्लिम नेताओं की एक बैठक के बाद के. रहमान खान ने कहा

कि इस फैसले से कर्नाटक के मुसलमानों को भारी ठेस पहुंची है। इस फैसले से भाजपा के मुस्लिम दुश्मन होने की पुष्टि होती है।

मुंबई उर्दू न्यूज (26 मार्च) के अनुसार जमीयत उलेमा, उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष मौलाना अमीनुल हक कासमी ने इस फैसले की निंदा की है और कहा है कि यह भाजपा सरकार की दोहरी नीति का प्रमाण है।

सियासत (28 मार्च) ने अपने संपादकीय में मुस्लिम आरक्षण को समाप्त किए जाने के फैसले की आलोचना करते हुए कहा है कि इससे विधानसभा के आने वाले चुनाव में भाजपा के सत्ता में आने की संभावनाएं समाप्त हो गई हैं और इससे कांग्रेस के पक्ष में लहर पैदा हो सकती है।

सालार (30 मार्च) ने एक विशेष लेख प्रकाशित किया है, जिसमें कहा गया है कि बोम्मई सरकार द्वारा मुस्लिम आरक्षण समाप्त करने के कारण राज्य में आग का तूफान पैदा होगा। समाचारपत्र ने कहा है कि यह आरक्षण एल.जी. हैवनूर आयोग की सिफारिशों के आधार पर दिया गया था, जिसे 1975 में उस समय के मुख्यमंत्री देवराज उर्स ने बनाया था। इसी तरह से 1983 में कर्नाटक की तत्कालीन रामकृष्ण हेगड़े सरकार ने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में टी. वेंकट स्वामी आयोग बनाया था, जिसने 1986 में एक रिपोर्ट पेश करके पिछड़ेपन के आधार पर मुसलमानों के आरक्षण को जारी रखने की सिफारिश की थी।

जाकिर नाइक के ओमान यात्रा पर विवाद

मुंबई उर्दू न्यूज (22 मार्च) ने इस बात की संभावना व्यक्त की है कि विवादित इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाइक को ओमान की सरकार हिरासत में लेकर भारत सरकार के हवाले कर सकती है। भारत की गुप्तचर एजेंसियां इस संदर्भ में ओमान सरकार के संपर्क में हैं। जाकिर नाइक भारत का वांटेड अपराधी है और भारतीय गुप्तचर एजेंसियां उसकी गतिविधियों पर गहरी नजर रख रही हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जाकिर नाइक 23 मार्च को ओमान में एक धार्मिक समारोह में भाषण देने वाला है, जिसका आयोजन ओमान की वक्फ और धार्मिक मामलों के मंत्रालय ने किया है। हालांकि, कुछ मीडिया रिपोर्टों के अनुसार जाकिर नाइक अब ओमान से वापस मलेशिया चला गया है।

गौरतलब है कि पिछले वर्ष विश्व फुटबॉल मैच के सिलसिले में जाकिर जब कतर पहुंचा था, तो उस समय विवाद खड़ा हो गया था और बाद में कतर सरकार ने उसके भाषण को रद्द करवा दिया था। जाकिर नाइक मनी लॉन्ड्रिंग और दो समुदायों के बीच घृणा फैलाने का आरोपी है और वह 2017 से मलेशिया में डेरा डाले हुए है।

औरंगाबाद टाइम्स (22 मार्च) के अनुसार जाकिर नाइक 1990 में तब विवादों के घेरे में आया था, जब उसके कई विवादास्पद भाषण के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। इसके बाद उस पर दूसरे धर्मों के खिलाफ नफरत फैलाने का आरोप लगा। भारत सरकार ने नाइक के संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। जुलाई 2016 में जाकिर नाइक विदेश चला गया और इसके एक साल के बाद भारत सरकार ने उसका पासपोर्ट रद्द कर दिया था और उसे फरार अभियुक्त घोषित कर दिया था।

इसी समाचारपत्र में 25 मार्च को एक समाचार प्रकाशित हुआ है, जिसमें दावा किया गया है कि ओमान में भाषण देते हुए जाकिर ने भारत सरकार और आरएसएस के बारे में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की है। कुछ लोगों का कहना है कि जाकिर को इस्लाम के बारे में भाषण देने के लिए बुलाया गया था। इसके बाद उसने

दुनियाभर के मुसलमानों से अपील की थी कि वे इस्लाम के प्रचार व प्रसार के लिए आगे आएं। उसने यह कहा कि मैं मुसलमानों और गैर-मुसलमानों को कुरान पर एक जन वार्ता के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। इसके बाद उसने भारत सरकार, प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस को निशाना बनाना शुरू किया। उसने इस संदर्भ में भारत में मुसलमानों के उत्पीड़न का भी उल्लेख किया।

समाचारपत्र के अनुसार भारत सरकार ने ओमान सरकार से यह अनुरोध किया था कि वह जाकिर नाइक को अपने देश में न आने दे। क्योंकि जाकिर भारत विरोधी भाषण देता है और इस संदर्भ में उसके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं।

मुंबई उर्दू न्यूज (27 मार्च) के अनुसार ओमान के 'सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र' में 'कुरान विश्व की जरूरत' विषय पर भाषण देते हुए जाकिर नाइक ने कहा कि भारत के हिंदू उसे पसंद करते हैं। उसने दावा किया कि उसके भाषणों को सुनने के लिए लाखों की जो भीड़ आती थी, उसमें 20 प्रतिशत गैर-मुसलमान होते थे। उसने यह भी दावा किया कि एक सिख न्यायाधीश ने उसकी संपत्ति को जब्त करने से प्रवर्तन निदेशालय को रोका था।

असम के मुख्यमंत्री ने दिया सभी मदरसों को बंद करने का संकेत

इंकलाब (18 मार्च) के अनुसार असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि नए भारत को इस्लामिक मदरसों की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए वे अपने राज्य में इन सभी मदरसों को बंद कर देंगे। शर्मा कर्नाटक के बेलगावी में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नए हिंदुस्तान में मदरसों की जरूरत नहीं, बल्कि स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मैंने अपने राज्य के 600 इस्लामिक मदरसे बंद कर दिए हैं और अब मैं सभी मदरसों को बंद करना चाहता हूं।

समाचारपत्र ने आरोप लगाया है कि शर्मा का रूख शुरू से ही इस्लाम विरोधी रहा है। राज्य में कई इस्लामिक मदरसों पर आतंकवादी अड्डे होने का आरोप लगाकर उन्हें बुलडोजरों द्वारा नेस्तनाबूद किया गया और 400 से अधिक मदरसों को मॉडर्न स्कूलों में बदलने के नाम पर राज्य सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया है। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय में कुछ याचिकाएं भी विचाराधीन हैं।

रोजनामा सहारा (18 मार्च) में प्रकाशित समाचार के अनुसार हिमंत बिस्वा शर्मा ने कर्नाटक में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि उनकी सरकार पहले ही 600 इस्लामिक मदरसों को बंद कर चुकी है। हम किसी भी मदरसे को जारी रखने के पक्ष में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि असम में इस समय तीन हजार से अधिक पंजीकृत और गैर-पंजीकृत मदरसें हैं, जिन्हें सामान्य सरकारी स्कूलों में बदला जाएगा। हम मुस्लिम बच्चों को आधुनिक शिक्षा देना चाहते हैं। इसलिए हम उन्हें विज्ञान और गणित की भी विशेष रूप से शिक्षा देंगे।

मुंबई उर्दू न्यूज (21 मार्च) में प्रकाशित एक संपादकीय में सुहैल अंजुम ने कहा है कि असम के मुख्यमंत्री हाल के वर्षों में मुस्लिम दुश्मनी के मामले में सबको पछाड़ चुके हैं। अगर हम उनकी तुलना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से करना चाहें, तो भी नहीं कर सकते। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपने राज्य के सभी पंजीकृत और गैर-पंजीकृत सरकारी सहायता पाने वाले या न पाने वाले इस्लामिक मदरसों की जांच का आदेश दिया था। बाद में भारत नेपाल सीमा पर स्थित मदरसों के आय के स्रोतों की भी जांच कराई गई। क्योंकि इस जांच में कोई आपत्तिजनक प्रमाण सरकार को नहीं मिला था, इसलिए अभी तक किसी मदरसे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

दूसरी ओर, हिमंत बिस्वा शर्मा ने अपने राज्य से मदरसों के अस्तित्व को ही मिटाने की ठान रखी है। उनकी सरकार ने पिछले वर्ष कई मदरसों को यह कहकर नेस्तनाबूद कर दिया कि वे आतंकवादी गतिविधियों के अड्डे हैं। जब इसका विरोध किया गया, तो यह कहा गया कि इन मदरसों का निर्माण अवैध रूप से हुआ था, इसलिए इन्हें गिराया गया है। असम में कुछ ऐसे लोगों को भी आतंकवाद के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, जोकि इन मदरसों में शिक्षा देते थे। मगर अभी तक उनके खिलाफ कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। सच्चाई तो यह है कि वे मदरसों के खिलाफ इसलिए हैं, क्योंकि इन मदरसों में इस्लाम की शिक्षा दी जाती है और बच्चों को इस्लाम का सिपाही बनाने की कोशिश की जाती है।

हमारा समाज (19 मार्च) ने अपने संपादकीय में हिमंत बिस्वा शर्मा के बयान की निंदा की है। हालांकि दूसरी ओर, भाजपा मुसलमानों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए 'मोदी मित्र' का अभियान भी शुरू कर रही है। इसके अतिरिक्त, मुसलमानों के एक अन्य वर्ग के वोट बटोरने के लिए 'सूफी संवाद कार्यक्रम' भी शुरू किया गया है। समाचारपत्र ने कहा है कि यह समझ में नहीं आता है कि आखिर देश में ये कैसा खेल चल रहा है। एक ओर तो मोदी सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उसे मुसलमानों की कोई परवाह नहीं है। फिर 2024 के आम चुनाव में उनको लुभाने की कोशिश क्यों की जा रही है?

समाचारपत्र ने कहा है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि भाजपा के लिए 2019 की तुलना में 2024 का चुनाव जीत पाना मुश्किल होगा। विपक्ष का गठबंधन हो या न हो, मगर देश में मोदी सरकार के खिलाफ जो जनभावना पैदा हो रही है, उससे भाजपा को काफी नुकसान होगा। पर्यवेक्षकों के अनुसार आगामी लोकसभा के चुनावों में भाजपा और उसके सहयोगियों को मिलने वाले सीटों में 70-80 सीटों के घटने की संभावना है। इसलिए संभावित हार को देखते हुए भाजपा मुसलमानों को अपनी ओर आकर्षित करने का अभियान चला रही है। भाजपा की ओर मुसलमानों को आकर्षित करने के लिए कथित बुद्धिजीवियों, शिक्षाविदों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का सहयोग लेने का फैसला किया गया है।

समाचारपत्र ने कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए भाजपा ने देश के मुस्लिम बहुल जिलों में अल्पसंख्यक समुदाय के पांच हजार 'मोदी मित्र' बनाने का फैसला किया है, जोकि अपने-अपने क्षेत्र में मुसलमानों को भाजपा से जोड़ने का काम करेंगे।

इत्तेमाद (20 मार्च) ने अपने संपादकीय में कहा है कि इस्लामिक मदरसे 'दीन के किले' हैं। इन मदरसों को मुस्लिम विद्वानों ने अपने खून से सींचा है। इन दीनी मदरसों की बदौलत आज भारत में इस्लाम जिंदा है। इस हकीकत को समझते हुए भाजपा ने इन मदरसों को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया है। एक ओर, असम में इन मदरसों के खिलाफ बुलडोजर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जबकि उत्तर प्रदेश सरकार भी इन्हें बंद करने की तैयारी कर रही है। असम में मुसलमानों की जनसंख्या लगभग 33 प्रतिशत है। इसलिए असम सरकार किसी न किसी तरह से मुसलमानों को हाशिए पर लाने की तैयारी कर रही है। यही कारण है कि असम के मुख्यमंत्री ने इन मदरसों को बंद करने की ठान रखी है। असम और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से इस्लामिक मदरसों पर शिकंजा कसा जा रहा है, उससे भाजपा की सांप्रदायिक मानसिकता का पता चलता है। इस बात की संभावना है कि इस्लामिक मदरसों के खिलाफ यह अभियान सिर्फ उत्तर प्रदेश और असम तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे देश में इस अभियान को छेड़ा जाएगा। मुसलमानों को इसे देखते हुए सावधान रहने की जरूरत है।

सर्वोच्च न्यायालय की नई पीठ में बिलकिस बानो केस की सुनवाई

रोजनामा सहारा (28 मार्च) के अनुसार बिलकिस बानो के मामले पर सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हुई और इस संदर्भ में अदालत ने केंद्र और गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया है। इससे पूर्व 22 मार्च को बिलकिस बानो की याचिका पर विचार करने के लिए मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड की अगुवाई में तीन न्यायाधीशों की एक पीठ बनाने का आश्वासन दिया गया था।

मुंबई उर्दू न्यूज (23 मार्च) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि वह सामूहिक बलात्कार के 11 आरोपियों को बरी करने या समय से पूर्व उन्हें रिहा करने को दी गई चुनौती की याचिका पर एक नए पीठ का गठन करेगी। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड की पीठ ने बिलकिस के वकील शोभा गुप्ता की शीघ्र सुनवाई की याचिका पर सहमति प्रकट की और नई पीठ की गठन करने का संकेत दिया।

इससे पूर्व भी सर्वोच्च न्यायालय ने एक विशेष पीठ का गठन किया था, लेकिन न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी ने यह कहकर इस पीठ से स्वयं को अलग कर लिया कि उन्हें 2004 और 2006 के दौरान गुजरात सरकार ने उपसचिव नियुक्त किया था। 15 अगस्त को गुजरात सरकार ने उम्रकैद पाने वाले 11 आरोपियों को रिहा किया था। सरकार का दावा था कि इनकी रिहाई गुजरात में कैद माफी की नीति के तहत की गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने 13 दिसंबर को बिलकिस की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया था और अपनी टिप्पणी में कहा था कि हमारी राय में 13 मई 2022 के गुजरात सरकार के निर्णय में कोई त्रुटि नहीं है, जिसके कारण इस फैसले पर पुनर्विचार किया जाए।

मुंबई उर्दू न्यूज (23 मार्च) ने अपने संपादकीय में सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है कि बिलकिस बानो के मुद्दे पर विचार करने के लिए एक विशेष पीठ का गठन किया जाएगा। समाचारपत्र ने कहा है कि हम इस फैसले का इसलिए स्वागत करते हैं कि यह

मामला सिर्फ एक मजबूर और बेबस महिला की सामूहिक बलात्कार और उसके परिवारजनों की हत्या का ही नहीं है, बल्कि यह मामला एक विशेष संप्रदाय का भी है। हम न्यायपालिका पर कोई आलोचना नहीं करना चाहते, मगर सिर्फ यह कहते हैं कि बिलकिस बानो के मामले में इंसाफ की आशा इसलिए भी कम थी, क्योंकि जिन 11 आरोपियों को रिहा किया गया था उनके पीछे भाजपा खड़ी हुई है। गुजरात सरकार का उन्हें समर्थन प्राप्त है। न्यायपालिका का रवैया गत कुछ वर्षों से भाजपा के प्रति नरम रहा है। इसका एक स्पष्ट उदाहरण राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद के फैसले का है। लेकिन इसके बावजूद न्यायपालिका की अंतरआत्मा जब जागती है और कोई ऐसा न्यायाधीश इंसाफ की कुर्सी पर बैठता है, जो ऐसा फैसला देता है, जोकि सरकार के इच्छा के विपरीत होते हैं। इन दिनों मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड भी कुछ इसी तरह के फैसले कर रहे हैं।

समाचारपत्र ने कहा है कि बिलकिस बानो के मामले की पुनः सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ का गठन करना ऐसा ही एक फैसला है। अफसोस की बात यह है कि जब इन आरोपियों को जेल से रिहा किया गया, तो उन्हें फूलों के हार से लादा गया और मिठाईयां बांटकर खुशियां मनाई गईं। बिलकिस बानो को एक लंबी प्रताड़ना और कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद अब इंसाफ मिलने की संभावना नजर आ रही है। सब जानते हैं कि 15 अगस्त को आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर गुजरात सरकार ने बिलकिस बानो केस के आरोपियों के अच्छे आचरण का हवाला देकर रिहा कर दिया था। लेकिन इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं कि यह फैसला सिर्फ गुजरात सरकार का नहीं है, बल्कि इसमें केंद्रीय गृह मंत्रालय की भी अनुमति ली गई थी। गुजरात सरकार और केंद्र सरकार के एक अधिकारी ने अदालत में जो शपथ-पत्र पेश किया था उससे इस मामले में केंद्र सरकार की भूमिका भी सामने आई थी। जिन लोगों को रिहा किया गया था, उनका गुजरात विधानसभा के चुनाव में राजनीतिक इस्तेमाल किया गया।

पृष्ठभूमि : 2002 में गुजरात के गोधरा दंगों के बाद बौखलाई भीड़ बिलकिस बानों के घर में घुस गई और उसके परिवारजनों की हत्या करके उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। इंसाफ प्राप्त करने के लिए बिलकिस ने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। दोषियों को उम्रकैद की सजा हुई, लेकिन गुजरात सरकार ने उन्हें सजा की अवधि पूरी होने से पहले ही रिहा कर दिया।

21 जनवरी 2008 को मुंबई की एक विशेष सीबीआई अदालत ने इस मामले में 11 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। बाद में मुंबई उच्च न्यायालय ने इस सजा को बरकरार रखा। इन दोषियों ने 15 वर्ष से अधिक का समय जेल में काट लिया था। इसके बाद इन आरोपियों में से एक ने समय से पूर्व अपनी रिहाई के लिए सर्वोच्च न्यायालय दरवाजा खटखटाया। इन आरोपियों की सजा माफी के लिए गठित कमेटी के अध्यक्ष और पंचमहल के कलेक्टर सुजल मयात्रा ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात सरकार को आरोपियों की रिहाई के मुद्दे पर विचार करने का निर्देश दिया था। इसलिए एक कमेटी का गठन किया गया। मयात्रा के अनुसार कमेटी ने इस मामले से संबंधित सभी 11 दोषियों को रिहा करने के पक्ष में सर्वसम्मति से फैसला किया और राज्य सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया।

औरंगाबाद का नाम बदलने का विवाद फिर उभरा

महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर रखने का जो फैसला किया था, उसका विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है।

इंकलाब (25 मार्च) के अनुसार औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजीनगर रखने के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका पर न्यायालय ने यह कहकर सुनवाई करने से इंकार कर दिया कि यह मामला पहले से ही मुंबई उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। सर्वोच्च न्यायालय में यह मामला मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड, जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस जे.बी. पारदीवाला की पीठ में पेश हुआ था। याचिका में औरंगाबाद के डिविजनल कमिश्नर, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की मंजूरी को चुनौती दी गई थी, जिसमें औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजीनगर रखने का प्रस्ताव था। इस संबंध में वकील उमर कमाल फारूकी ने अदालत में एक याचिका दायर की थी।

मुंबई उर्दू न्यूज (20 मार्च) ने मुख्य पृष्ठ पर एक समाचार प्रकाशित करके यह दावा किया है कि औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर रखने के समर्थन और विरोध में रैलियों का सिलसिला महाराष्ट्र में शुरू हो गया है। समाचारपत्र के अनुसार औरंगाबाद में सकल हिंदू समाज की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें हिंदू समाज के लोग भारी संख्या में शामिल हुए, जोकि 'जय भवानी, जय शिवाजी' के नारे लगा रहे थे। रैली में शामिल लोगों ने जहां-जहां औरंगाबाद लिखा हुआ था, वहां-वहां तोड़फोड़ की। कई हिंदू संगठनों ने सकल हिंदू समाज का गठन करके औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर रखने के पक्ष में प्रदर्शन करने का फैसला किया था।

इस प्रदर्शन में महाराष्ट्र सरकार के एक मंत्री के साथ-साथ भाजपा, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने भी भारी संख्या में हिस्सा लिया और मांग की कि हम एक ऐसे मुगल बादशाह के नाम पर अपने नगर का नाम क्यों रखें, जिसने हमारे छत्रपति संभाजी के खून से अपने हाथ रंगे थे। दूसरी ओर, एक नए मुस्लिम संगठन 'मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल' ने इस सरकारी फैसले के खिलाफ प्रदर्शन किया और धरना दिया। धरने की शुरुआत मौलाना शरीफ निजामी

द्वारा कुरान पाक के पाठ से शुरू हुई। नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि संभाजी और औरंगजेब की दुश्मनी धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक थी। उन्होंने कहा कि औरंगाबाद का इतिहास 400 वर्ष पुराना है और उसे हम किसी भी कीमत पर मिटने नहीं देंगे।

मुश्ताक अहमद ने 1995 के केस की बात को दोहराते हुए कहा कि इस तरह की हरकतें पहले भी की गई थीं। हालांकि, अधिकांश लोग इस बात के पक्ष में नहीं हैं कि औरंगाबाद का नाम बदला जाए। मगर कुछ सांप्रदायिक लोग इस मुद्दे को वोटों की राजनीति के कारण बार-बार जिंदा कर रहे हैं। औरंगाबादवासियों के संयुक्त प्रयास से 1995 में सांप्रदायिक तत्वों के मंसूबे विफल हो गए थे। बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष ने कहा कि जब तक यह दुनिया रहेगी औरंगाबाद का नाम औरंगाबाद ही रहेगा। वंचित बहुजन आघाडी की प्रदेश अध्यक्ष रेखा ठाकुर ने कहा कि कुछ लोग जानबूझकर इस मुद्दे को उछाल रहे हैं, ताकि वे दो समुदायों के बीच नफरत पैदा करके राजनीतिक लाभ उठा सकें। शिवाजी महाराज और संभाजी इस्लाम के दुश्मन नहीं थे। न ही औरंगजेब हिंदू धर्म के दुश्मन थे। अगर वे दुश्मन होते तो उनकी सेना में सबसे ज्यादा हिंदू सेनापति नहीं होते।

हाफिज इकबाल अंसारी ने कहा कि औरंगाबाद हमारी पहचान है और हम इसको जिंदा रखने के लिए आखिरी दम तक संघर्ष करेंगे। सांसद इम्तियाज जलील ने कहा कि मैं औरंगाबाद का था, हूं और रहूंगा। कुछ सांप्रदायिक ताकतें देश के इतिहास को बदलना चाहती हैं। उनके ये मंसूबे विफल रहेंगे। धरने के बाद एक प्रतिनिधिमंडल डिविजनल कमिश्नर से मिला और यह मांग की गई कि औरंगाबाद के नाम में कोई परिवर्तन न की जाए।

मुंबई उर्दू न्यूज (9 मार्च) के अनुसार उमर कमाल फारूकी ने संवाददाताओं को बताया कि देश में ऐतिहासिक नामों के बदलने का जो सिलसिला चल रहा है, उसके खिलाफ सिर्फ औरंगाबाद और उस्मानाबाद ही नहीं बल्कि देश में जितने भी ऐतिहासिक शहरों के नाम बदले गए या बदले जा रहे हैं, उसके बारे में मैंने देश के मुख्य न्यायाधीश से हस्तक्षेप करने की मांग की थी।

औरंगाबाद टाइम्स (7 मार्च) के अनुसार महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने औरंगाबाद और उस्मानाबाद के नाम बदलने का विरोध किया है और कहा है कि इससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा है और हिंदू मुस्लिम विवाद को पैदा करके राजनीतिक कारणों से सामाजिक एकता को तोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को दबाने और वोटों के ध्रुवीकरण के लिए महाराष्ट्र में गुजरात पैटर्न शुरू कर दिया गया है। इस संबंध में जनता को जागरूक करने की जरूरत है।

इत्तेमाद (1 मार्च) ने अपने संपादकीय में यह दावा किया है कि नामों को बदलने की राजनीति करने वालों को सर्वोच्च न्यायालय से

जबर्दस्त धक्का लगा है और भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय ने प्राचीन, सांस्कृतिक और धार्मिक स्थानों के असली नामों को बहाल करने के लिए जो कमीशन बनाने की मांग की थी, उसे सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है। जस्टिस के.एम. जोसेफ और बी.वी. नागरत्ना ने कहा कि ऐसे मामलों को जिंदा करने से देश में तनाव बढ़ेगा।

सालार (13 मार्च) ने अपने संपादकीय में कहा है कि नामों को बदलने का तूफान अब रूक जाना चाहिए, क्योंकि इससे देश में तनाव पैदा हो रहा है।

मुंबई उर्दू न्यूज (14 मार्च) के अनुसार रॉयल मुगल फैमिली ऑफ इंडिया की ओर से औरंगाबाद का नाम बदलने के बारे में एक याचिका कमिश्नर के कार्यालय में दाखिल की गई है। यह याचिका हैदराबाद में रहने वाले मुगल खानदान के वारिस एचआर प्रिंस याकूब तुसी ने दायर की है। जिसमें उन्होंने मांग की है कि सरकार इस फैसले को वापस ले।

मुंबई उर्दू न्यूज (14 मार्च) ने अपने संपादकीय में इस बात पर जोर दिया गया है कि इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना चाहिए। जैसा कि आज से 28 वर्ष पहले भी हुआ था। समाचारपत्र ने औरंगाबादवासियों से यह मांग की है कि वे नाम बदलने के खिलाफ डिविजनल कमिश्नर के दफ्तर में आपत्तियां दर्ज करवाएं। समाचारपत्र ने कहा है कि 1995 में भी शिवसेना-भाजपा की संयुक्त सरकार ने औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर रखने का फैसला किया था। इस फैसले को एक्शन कमेटी के अध्यक्ष मुस्ताक अहमद ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, जिसे न्यायालय ने रद्द करते हुए सरकार के फैसले की पुष्टि की थी। इसके बाद मुश्ताक अहमद ने सर्वोच्च न्यायालय की शरण ली और यह मामला उस समय के मुख्य न्यायाधीश ए.एम. अहमदी की पीठ में आया। इस याचिका की पैरवी कपिल सिब्बल ने की थी। सर्वोच्च न्यायालय में मुस्ताक अहमद की जीत हुई और न्यायालय ने औरंगाबाद के नाम को बदलने के मनोहर जोशी सरकार के फैसले पर रोक लगा दी। साल 2000 में कांग्रेस और एनसीपी की सरकार सत्ता में आई और उस समय कांग्रेस के मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख ने जोशी सरकार के इस फैसले को रद्द कर दिया। अब यह मामला फिर उछाला जा रहा है।

सालार (7 मार्च) के अनुसार शिवसेना के विधायक संजय शिरसाट ने यह मांग की है कि मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र को औरंगाबाद से हटाकर हैदराबाद में स्थानांतरित किया जाए। ए. आई.एम.आई.एम. के महाराष्ट्र अध्यक्ष ने यह मांग की है कि मुंबई, पुणे, नागपुर, कोल्हापुर एवं मालेगांव का नाम भी बदला जाए। उन्होंने मुंबई का नाम शिवाजी राजे महानगर, पुणे का नाम सावित्रीबाई फुले नगर, नागपुर का नाम बी.आर. अंबेडकर नगर, कोल्हापुर का नाम छत्रपति शाहुजी महाराज नगर और मालेगांव का नाम मौलाना आजाद नगर रखने की मांग की है। ■

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आवास पर रोजा इफ्तार का आयोजन

इंकलाब (31 मार्च) के अनुसार ब्रिटेन के इतिहास में पहली बार ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के सरकारी आवास 10 डाउनिंग स्ट्रीट में रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें कुरान पाक का पाठ हुआ और इसके बाद अजान दी गई। ब्रिटेन के विदेश मंत्री के सरकारी आवास लैंकेस्टर हाउस में इफ्तार के रात्रि भोजन का भी आयोजन किया गया। इन दोनों स्थानों पर ब्रिटेन में रहने वाले प्रमुख मुसलमानों को भाग लेने का आमंत्रण दिया गया था।

कंजर्वेटिव पार्टी के चेयरमैन ग्रेग हैंड्स ने कहा है कि इन आयोजनों का उद्देश्य यह बताना था कि ब्रिटिश सरकार देश में रहने वाले मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं का आदर करती है और ब्रिटेन के विकास में उनके योगदान के महत्व की पुष्टि करती है। उन्होंने कहा कि इस्लाम शांति और सलामती का धर्म है। रमजान अब ब्रिटेन की धार्मिक और सामाजिक संस्कृति का हिस्सा बन चुका है।

लैंकेस्टर हाउस में आयोजित इफ्तार पार्टी में ब्रिटेन के विदेश मंत्री और व्यापार मंत्री ने भी मेहमानों को संबोधित किया और कहा कि हम यह चाहते हैं कि लंदन को विश्व में इस्लामिक वित्त केंद्र के रूप में विकसित किया जाए। इस्लामिक जगत के सबसे बड़े धार्मिक विश्वविद्यालय जामिया अल-अजहर के प्रमुख इमाम शेख हनी साद महमूद इफ्तार पार्टी के मुख्य अतिथि थे। उन्होंने इस इफ्तार पार्टी में कुरान का पाठ किया। इन दोनों समारोहों में अतिथियों को विशेष रूप से पाकिस्तानी भोजन परोसा गया।

एक अन्य समाचार के अनुसार स्कॉटलैंड सरकार के नवनिर्वाचित प्रमुख पाकिस्तानी मूल के हमजा यूसुफ के सरकारी आवास पर भी रोजा इफ्तार और नमाज का आयोजन किया गया। संवाद समिति 'एएफपी' के अनुसार स्कॉटलैंड की संसद ने हमजा यूसुफ को पहला मंत्री चुना गया है, जोकि यूरोप में किसी भी सरकार के पहले मुस्लिम प्रमुख हैं। ब्रिटेन के किंग ने उनकी नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। इसके बाद उन्होंने 28 मार्च को अपने पद की शपथ ली। गौरतलब है कि हमजा यूसुफ ग्लासगो क्षेत्र से सांसद चुने गए हैं। उनकी उम्र 37 वर्ष की है और वे स्कॉटलैंड के पहले मुस्लिम प्रमुख हैं। इससे पूर्व वे स्वास्थ्य मंत्री के रूप में भी काम कर चुके हैं। 26 वर्ष की उम्र में वे स्कॉटलैंड संसद के सदस्य चुने गए थे

खाद्य पदार्थों की मूल्य वृद्धि का समाचार देने पर पत्रकार गिरफ्तार

इंकलाब (31 मार्च) के अनुसार बांग्लादेश में खाद्य पदार्थों के मूल्यों में हो रही भारी वृद्धि से संबंधित समाचार को प्रकाशित करने वाले पत्रकार को सरकार ने गिरफ्तार कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश के एक लोकप्रिय अखबार से संबंधित पत्रकार शम्सुज्जमां शम्स ने अपनी रिपोर्ट में खाद्य पदार्थों के मूल्यों में हुई भारी वृद्धि के लिए सरकार को दोषी ठहराया था।

पत्रकार को ढाका स्थित उनके घर से आधी रात को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बांग्लादेश के गृह मंत्री असदुज्जमां खान ने बताया कि शम्स को डिजिटल सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने मूल्य वृद्धि के बारे में जो खबर दी थी वह झूठी, भ्रामक और मनगढ़ंत थी।

गौरतलब है कि बांग्लादेश में इस कानून के तहत गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को 14 वर्ष तक की सजा दी जा सकती है। अब तक इस कानून के तहत बांग्लादेश में 138 पत्रकारों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बांग्लादेश की 'मीडिया फ्रीडम कोएलिशन' नामक संगठन ने सरकार पर आरोप लगाया है कि वह प्रेस की स्वतंत्रता का हनन कर रही है और सच्चाई को छिपाने के लिए पत्रकारों को झूठे आरोपों में गिरफ्तार कर रही है। इस संगठन के प्रवक्ता ने कहा कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव के समाचार प्रकाशित करने पर कई पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया था। लंदन में एक बंगाली पत्रकार ने जब सरकार के बारे में आलोचनात्मक खबरें प्रकाशित की, तो ढ़ाका में उसके भाई पर हमला किया गया और बाद में उसे झूठे आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। इसी तरह से ट्रिब्यून के फोटोग्राफर और एक अन्य अखबार 'प्रोथोम अलो' से संबंधित अनेक पत्रकारों को भी बांग्लादेश सरकार ने झूठे आरोपों में गिरफ्तार किया है।

डेनमार्क में फिर से जलाया गया कुरान

सियासत (28 मार्च) के अनुसार सऊदी अरब सहित कई मुस्लिम देशों ने डेनमार्क में इस्लाम विरोधी कट्टरपंथियों द्वारा कुरान और तुर्किये के झंडे जलाए जाने की निंदा की है। हाल ही में रमजान के दौरान डेनमार्क के दक्षिणपंथी समूह 'पैट्रियटर्ने गार' ने कोपेनहेगन में तुर्किये दूतावास के सामने कुरान और तुर्किये के झंडे को जलाने का एक वीडियो वायरल किया था। तुर्किये के समाचारपत्र 'डेली सबाह' ने इस घटना की निंदा की है और कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में विश्व के अरबों मुसलमानों की भावनाओं को आघात पहुंचाने वाली ऐसी घटनाओं को किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा।

तुर्किये सरकार ने डेनमार्क सरकार से यह आग्रह किया है कि दोषी व्यक्तियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए, ताकि विश्व में सामाजिक सौहार्द और शांति बनी रहे। जॉर्डन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सिनान मजाली ने कहा है कि यूरोप और विश्व के कुछ अन्य भागों में सत्तारूढ़ दल जानबूझकर इस्लाम के खिलाफ नफरत की भावना को हवा दे रहे हैं। इसे कोई भी मुसलमान सहन नहीं करेगा और इसके गंभीर परिणाम होंगे। कुवैत के विदेश मंत्रालय ने भी इस घटना की निंदा की है और कहा है कि इस्लाम विरोधी ऐसी घटनाएं डेनमार्क में निरंतर हो रही हैं और वहां की सरकार अभी तक इन्हें रोकने में विफल रही है।

मुंबई उर्दू न्यूज (28 मार्च) के अनुसार डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में इस्लाम विरोधी एक दक्षिणपंथी समूह ने कुरान पाक और तुर्किये के राष्ट्रीय ध्वज को जलाया है। इस संबंध में वायरल वीडियो के अनुसार प्रदर्शनकारियों ने इस्लाम विरोधी बैनर उठा रखे थे और कुरान और रसूल के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगा रहे थे। गौरतलब है कि इससे पूर्व भी इसी वर्ष के जनवरी महीने में एक इस्लाम विरोधी अतिवादि नेता रासमस पलुदान ने कोपेनहेगन में एक मस्जिद के सामने कुरान को जलाया था। इसके बाद उन्होंने तुर्किये दूतावास के सामने पुलिस की सुरक्षा में एक बार फिर से कुरान को जलाया। समाचारपत्र ने लिखा है कि डेनमार्क सरकार ऐसे शरारती तत्वों के खिलाफ कोई सख्त कदम उठाने में अभी तक विफल रही है।

रोजनामा सहारा (23 मार्च) के अनुसार ब्रिटिश सरकार ने कोपेनहेगन में कुरान को जलाने वाले व्यक्ति रासमस पलुदन के ब्रिटेन में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। गौरतलब है कि इस व्यक्ति ने यह घोषणा की थी कि वे ब्रिटेन के वेकफील्ड शहर में रमजान के दौरान कुरान को जलाएंगे। जब यह मामला ब्रिटिश संसद 'हाउस ऑफ कॉमन्स' में उठाया गया, तो ब्रिटेन के सुरक्षा राज्य मंत्री टॉम टगेनधट ने सदन को यह आश्वासन दिलाया कि इस व्यक्ति को ब्रिटेन में दाखिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

तालिबान से भयभीत न्यायाधीश छह महीने से अपने घर में बंद

रोजनामा सहारा (22 मार्च) के अनुसार अफगानिस्तान की एक पूर्व महिला न्यायाधीश ने ब्रिटेन में दाखिल राजनैतिक शरण के आवेदन को रद्द किए जाने के बाद बताया कि उन्होंने तालिबान के डर से छह महीने से अपने घर के बाहर कदम नहीं रखा है और अपने घर में ही बंद हैं। कदीसा (बदला हुआ नाम) नामक महिला ने 'इंडिपेंडेंट अरेबिया' नामक अखबार को किसी अज्ञात जगह पर इंटरव्यू देते हुए यह आरोप लगाया है। इस महिला का वास्तविक नाम सुरक्षा कारणों के चलते गुप्त रखा गया है।

संवाददाता ने बताया कि वह रात को ही अपने घर के बाग में जाने की हिम्मत करती हैं। क्योंकि उन्हें यह डर है कि उनकी हत्या कर दी जाएगी। यह महिला महिलाओं पर होने वाले अत्याचार से संबंधित मुकदमों की सुनवाई करती

थीं और उनकी उम्र 46 वर्ष है। उन्होंने कहा कि वह अपनी जान बचाने के लिए ब्रिटेन में शरण लेना चाहती थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उनके आवेदन को रद्द कर दिया है। इस महिला ने यह भी बताया कि काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद वह वहां से फरार होने में सफल हुई थीं। पांच महीने पूर्व उनके भाई ने उन्हें बताया था कि तालिबान सरकार के गुप्तचर विभाग के अधिकारी उनके बारे में पूछताछ कर रहे हैं। इस महिला न्यायाधीश ने कहा कि मानवाधिकारों का सबसे बड़ा रक्षक होने का दावा करने वाला ब्रिटेन भी उन्हें शरण देने के लिए तैयार नहीं है। जब से उनका आवेदन रद्द हुआ है वह बहुत परेशान हैं।

पाकिस्तान में आतंकवादियों द्वारा एक ब्रिगेडियर की हत्या

रोजनामा सहारा (23 मार्च) के अनुसार दक्षिणी वजीरिस्तान क्षेत्र में इस्लामिक आतंकियों के हमले में कम-से-कम पांच पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, जिनमें एक ब्रिगेडियर भी शामिल है। ब्रिटिश संवाद समिति 'रॉयटर्स' के अनुसार प्रतिबंधित आतंकी संगठन 'तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान' के आतंकियों की पाकिस्तानी सेना की एक टुकड़ी के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें पाकिस्तानी गुप्तचर एजेंसी आईएसआई के ब्रिगेडियर मुस्तफा कमाल बर्की मारे गए। बर्की के मरने की पुष्टि पाकिस्तान सेना के जनसंपर्क विभाग ने भी की है।

इस एजेंसी द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार इस हमले में एक दर्जन से अधिक पाकिस्तानी अधिकारी भी जख्मी हुए हैं, जिनमें से दो की हालत गंभीर बताई जा रही है। अफगान सीमा के समीप एक अन्य हमले में इस्लामिक आतंकियों ने पाकिस्तानी सेना की एक चौकी पर हमला किया, जिसमें कई लोग मारे गए। सरकार ने इस हमले में मरने वाले पाकिस्तानी सैनिकों की संख्या नहीं बताई है। इससे पूर्व डेरा इस्माइल खान में पाकिस्तानी सेना और इस्लामिक आतंकियों के बीच हुई एक झड़प में छह पाकिस्तानी सैनिक अधिकारी मारे गए, जबकि जवाबी कार्रवाई में सेना ने चार आतंकियों को गोली से उड़ा दिया। पाकिस्तान सरकार ने इस बात की पुष्टि की है कि हाल ही में पाकिस्तानी सेना पर हुए हमलों की घटनाओं में भारी वृद्धि हुई है।

इजरायल में अभूतपूर्व राजनीतिक संकट

मुंबई उर्दू न्यूज (28 मार्च) के अनुसार इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इजरायल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट को बर्खास्त कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वे प्रधानमंत्री द्वारा पेश किए गए न्यायिक सुधारों के विधेयक का विरोध कर रहे थे। रक्षा मंत्री को बर्खास्त करने से पूर्व प्रधानमंत्री ने उनसे मुलाकात भी की थी।

रोजनामा सहारा (29 मार्च) के अनुसार देश में न्यायिक सुधारों से संबंधित विधेयक के विरोध को देखते हुए प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इस विधेयक को कानून का दर्जा देने से संबंधित कार्रवाई को अगले महीने तक के लिए स्थगित कर दिया है। समाचारपत्रों के अनुसार इस विवादित विधेयक के खिलाफ देश भर में जो उग्र प्रदर्शन हो रहे थे, उन पर रक्षा मंत्री की बर्खास्तगी ने जलती आग में घी का काम किया है। इजरायल के सबसे बड़े श्रमिक संगठन 'नेशनल लेबर यूनियन' द्वारा राष्ट्रव्यापी हड़ताल के कारण पूरा जनजीवन ठप रहा। हवाई अड्डे से कोई भी विमान न तो रवाना हो सका और न ही वहां उतर सका। इसके अतिरिक्त इजरायल के सभी बंदरगाहों, बैंकों, अस्पतालों और बाजारों में भी कामकाज ठप रहा। इजरायल के राष्ट्रपति इसाक हरजोग ने भी सरकार को यह सलाह दी थी कि वह इस विवादित विधेयक को कानून का दर्जा देने का प्रयास न करे।

गौरतलब है कि इस विधेयक में संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले को कार्यान्वित करने से रोक सकती है। नेतन्याहू द्वारा हालांकि इस विधेयक को कानूनी दर्जा देने के मामले को स्थगित कर दिया गया है। मगर इसके बावजूद प्रदर्शनकारियों के नेताओं ने यह घोषणा की है कि वे इसके खिलाफ अपना विरोध जारी रखेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री ने हालांकि फिलहाल इस विधेयक को कानूनी रूप देने से

इंकार कर दिया है। मगर वे जब तक पूर्ण रूप से इस विधेयक को वापस नहीं लेंगे, इजरायली जनता का विरोध जारी रहेगा। देश भर में इजरायली पुलिस और दक्षिणपंथी प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें होती रहीं।

जबकि इजरायली संसद के विपक्षी नेताओं ने प्रधानमंत्री द्वारा इस विधेयक को कानूनी रूप न देने का तो समर्थन किया है। मगर उन्होंने यह भी मांग की है कि प्रधानमंत्री द्वारा रक्षा मंत्री को पुनः उनके पद पर बहाल किया जाए और देश में इस विवादित विधेयक के बारे में चर्चा हो। पूर्व प्रधानमंत्री येर लापिड ने कहा है कि विपक्ष को इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि नेतन्याहू देश को फरेब न परोसें और ईमानदारी से इस विवादित विधेयक को वापस लेने की घोषणा करें।

इजरायली राष्ट्रपति के कार्यालय ने एक बयान में कहा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री, विपक्षी नेता और पूर्व रक्षा मंत्री के बीच लंबी बातचीत की है, ताकि इस गतिरोध का कोई रास्ता निकाला जा सके। उनका यह प्रयास है कि इस संदर्भ में राष्ट्रीय स्तर पर समझौते की वार्ता के लिए टीमों का गठन किया जाए। गौरतलब है कि इस विवादित कानून के खिलाफ पिछले बारह सप्ताह से इजरायल में उग्र प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है।

इंकलाब (30 मार्च) के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि इजरायल जिस रास्ते पर चल पड़ा है, उस पर वह ज्यादा समय तक नहीं चल सकेगा। उन्होंने यह स्पष्ट कहा है कि वे इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को अमेरिका आने का आमंत्रण नहीं दे रहे है। संवाददाताओं को अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि मुझे आशा है कि इजरायल के प्रधानमंत्री इस विवादित विधेयक को जनता पर जबर्दस्ती लादने की कोशिश नहीं करेंगे।

अमेरिकी राष्ट्रपति के इस बयान के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि इजरायल एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र है। वह अपनी नीतियां और उनसे संबंधित फैसले अपनी जनता की भलाई को देखते हुए ही करता है और वह किसी विदेशी दबाव पर कभी कोई फैसला नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि इजरायल और अमेरिका के बीच पुराने रिश्ते हैं। इनमें कभी-कभी मतभेद भी उत्पन्न होते हैं, तो उसे दूर कर लिया जाता है। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति की इस टिप्पणी पर कि नेतन्याहू इजरायली लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रहे हैं, का उल्लेख करते हुए कहा कि इजरायल सरकार की यह नीति है कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिक के बीच संतुलन स्थापित किया जाए और देश की लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत बनाया जाए। उन्होंने कहा कि हम अपनी इस नीति पर अडिग हैं। ■

सीरिया में अमेरिकी अड्डे पर हमला

हमारा समाज (26 मार्च) के अनुसार अमेरिका की ओर से पूर्वी सीरिया पर किए गए हमलों में जो 11 प्रमुख ईरान समर्थक लड़ाके मारे गए थे, उसके जवाब में ईरान समर्थक मिलिशिया ने अल उमर ऑयल फील्ड स्थित अमेरिकी अड्डे पर मिसाइल से हमला किया और अमेरिका को काफी जान व माल का नुकसान पहुंचाया। सीरियन ऑबजर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के निदेशक रामी अब्दुर्रहमान ने फ्रांसीसी संवाद समिति को बताया कि ईरान समर्थक मिलिशिया के एक गुट ने अमेरिकी अड्डे पर रॉकेटों से हमला किया। इसके जवाब में अमेरिका ने फिर ईरान समर्थक मिलिशिया के अड्डों पर विमानों और ड्रोनों से हमला किया, जिससे कई लोग जख्मी हो गए। अमेरिकी जहाजों ने ईरान समर्थक लड़ाकुओं के अस्त्र-शस्त्र के भंडारों को भी अपना निशाना बनाया और उन्हें तबाह व बर्बाद कर दिया। इस हमले में ईरान समर्थक 51 से अधिक लड़ाकू मारे गए।

अब्दुर्रहमान ने यह भी दावा किया कि तेल से मालामाल इस क्षेत्र में 15 हजार से अधिक ईरान समर्थक सशस्त्र इराकी, अफगानी और पाकिस्तानी मौजूद हैं। इन्होंने ईरान और सीरिया के सीमावर्ती क्षेत्रों में अड्डे स्थापित कर रखे हैं। जबकि अमेरिका ने सीरिया में कुर्दों के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में हाल ही में एक हजार अमेरिकी सैनिक तैनात किए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रमुख जनरल माइकल एरिक कुरिल्ला ने कहा कि पिछले दो वर्षों में ईरान समर्थक विद्रोहियों ने अमेरिकी सेना पर कम-से-कम 78 बार हमले किए हैं। हालांकि, इन हमलों में अमेरिका को बहुत कम नुकसान हुआ है।

अमेरिका 2010 से सीरिया में डेमोक्रेटिक फोर्सेस का समर्थन कर रहा है, जोकि आईएसआईएस के खिलाफ संघर्षशील हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि अपने हितों की रक्षा के लिए वे ईरान समर्थक मिलिशिया पर हमले जारी रखेंगे। अरब न्यूज के अनुसार हाल ही में खूनी झड़पें उस समय शुरू हुई, जब ईरान के बनाए हुए एक आत्मघाती ड्रोन ने आईएसआईएस विरोधी गठबंधन को अपना निशाना बनाया, जिसमें कई अमेरिकी मारे गए। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी सेना को यह आदेश दिया है कि वह ईरान के पासदारान-ए-इंकलाब से संबंधित गुटों को हवाई हमलों का निशाना बनाएं।

अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कहा कि ये हमले पासदारान-ए-इंकलाब द्वारा अमेरिकी सेना पर किए गए हमलों के जवाब में किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाल के इन हमलों में 14 से अधिक लोग मारे गए हैं, जिनमें कुछ सीरिया के सैनिक भी हैं। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता ने इस बात की पुष्टि की कि ईरान समर्थक पासदारान-ए-इंकलाब के लड़ाकू अमेरिकी अड्डों

पर हमले कर रहे हैं। मगर इससे अमेरिका को कोई नुकसान नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि हम अपनी सेना की रक्षा के लिए हर कदम उठाएंगे और अपनी पसंद के वक्त और जगह पर उसका जवाब देंगे।

इत्तेमाद (27 मार्च) के अनुसार ईरानी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता ने सीरिया में ईरान के अड्डों पर अमेरिकी हमलों का मुंहतोड़ जवाब देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि हाल ही में अमेरिका और ईरान समर्थक मिलिशिया के बीच जो झड़पें हुई थीं, उसमें कम-से-कम 19 लोग मारे गए थे। उन्होंने कहा कि सीरिया में आतंकवाद और खिलाफत से निपटने के लिए सीरिया की सरकार के अनुरोध पर ईरान ने जो अपने अड्डे बनाए हैं, अगर उन पर अमेरिका हमला करता है, तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ईरानी सेना और उनके समर्थक सीरिया सरकार के अनुरोध पर वहां मौजूद हैं। हमारी नजर में अमेरिका वहां पर अवैध रूप से काबिज है।

वहीं अमेरिका ने यह दावा किया है कि किसी भी ईरानी हमले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अमेरिकी हितों की रक्षा के लिए पूरी ताकत के साथ कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि ईरान गत 12 वर्षों से सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल-असद का समर्थक रहा है और ईरान से संबंधित विभिन्न आतंकी संगठन, जिनमें हिजबुल्लाह और ईरान समर्थक मिलिशिया शामिल हैं, ने सीरिया के विभिन्न क्षेत्रों में अपने अड्डे बना रखे हैं। इन अड्डों पर इजरायल द्वारा निरंतर हवाई हमले किए जाते हैं। अमेरिका ने पहली बार इन हमलों में हिस्सा लिया है।

सऊदी अरब में हाजियों के स्वागत की तैयारियां

सियासत (20 मार्च) के अनुसार सऊदी सरकार ने यह घोषणा की है कि रमजान में श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए मदीना में स्थित मस्जिद-ए-नबवी के तमाम दरवाजे खोल दिए गए हैं। मस्जिद में सुरक्षा प्रबंधों के प्रमुख ने कहा कि इस मस्जिद के चारों तरफ 100 से अधिक दरवाजे हैं, जिनको इसलिए खोल दिया गया है, ताकि मस्जिद की यात्रा करने के लिए जो श्रद्धालु आएं, उन्हें किसी भी तरह की परेशानी न हो। मस्जिद में रोजा इफ्तार के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। इफ्तार से संबंधित सामान को मस्जिद के अंदर ले जाने के लिए कुछ विशेष दरवाजे निर्धारित किए गए हैं, ताकि श्रद्धालुओं को परेशानी न हो।

औरंगाबाद टाइम्स (26 मार्च) के अनुसार सऊदी अरब के हज मामलों के एक प्रवक्ता ने कहा कि रमजान के दौरान 20 लाख से अधिक मुसलमानों के मस्जिद काबा में नमाज और उमरा

अदा करने की संभावना है। अल अरबिया न्यूज को सऊदी सरकार के विशेष प्रवक्ता सुल्तान अल सलमी ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधाा के लिए 12 हजार कार्यकर्ता नियुक्त किए गए हैं। देश और विदेश की 50 भाषाओं में श्रद्धालुओं को जानकारी देने की विशेष व्यवस्था की गई है। काबा में दाखिले के लिए 14 विशेष रास्ते बनाए गए हैं। उमरा अदा करने के लिए आने वालों के लिए नौ हजार वाहनों की व्यवस्था की गई है।

एक अन्य समाचार के अनुसार सऊदी हज और उमरा मंत्रालय ने यह घोषणा की है कि रमजान के मौके पर किसी को एक से अधिक बार उमरा अदा करने की अनुमति नहीं होगी। यह फैसला इसलिए किया गया है ताकि अधिक से अधिक लोगों को उमरा अदा करने का मौका मिल सके।

इत्तेमाद (22 मार्च) के अनुसार सऊदी अरब के सार्वजनिक सुरक्षा निदेशक लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल-बस्सामी ने कहा है कि रमजान के मौके पर सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की गई है और उसके लिए विशेष ट्रैफिक योजना बनाई गई है। काबा और मस्जिद-ए-नबवी के दरवाजे 24 घंटे यात्रियों और नमाजियों के लिए खुले रहेंगे। इसके अतिरिक्त मस्जिद की छत पर भी नमाज अदा करने की विशेष व्यवस्था की गई है और वहां पर भारी मात्रा में कालीन बिछाए गए हैं।

आने वाले नमाजियों के लिए कुरान और आब-ए-जमजम उपलब्ध कराने की भी विशेष व्यवस्था की गई है। महिला रोजेदारों के लिए कुछ दरवाजे विशेष रूप से निर्धारित किए गए हैं। हजरत मोहम्मद के रोजा में श्रद्धालुओं के प्रवेश के लिए विशेष व्यवस्था की गई है और जो श्रद्धालु रोजा की जियारत करना चाहें, उन्हें विशेष परमिट प्राप्त करने होंगे। महिलाएं दिन में नमाज अदा कर सकती हैं। जबकि पुरुषों को दिन में नमाज अदा करने की अनुमति नहीं होगी। पुरुषों के नमाज के लिए एक विशेष हॉल बनाया गया है।

ईरान में मजार पर हमले के दो आरोपियों को सजा–ए–मौत

मुंबई उर्दू न्यूज (20 मार्च) के अनुसार ईरान की एक अदालत ने एक महत्त्वपूर्ण शिया मजार पर हमला करने के दो दोषियों को मौत की सजा दी है। इस हमले में कम-से-कम 15 श्रद्धालु मारे गए थे। इस हमले की जिम्मेवारी कट्टरपंथी संगठन आईएसआईएस ने ली थी। फारस प्रांत के सरकारी वकील ने कहा कि इन दोनों व्यक्तियों को हिंसा भड़काने और आंतरिक सुरक्षा को तहस-नहस करने का दोषी पाया गया है। उन्होंने कहा कि सरकारी टीवी पर प्रसारित होने वाले एक कार्यक्रम के अनुसार सिराज नामक नगर में स्थित मशहूर दरगाह शाह चिराग में इन अपराधियों में से एक ने एक बैग में राइफल छिपा कर

दाखिल हुआ था और उसने दरगाह में दाखिल होते ही श्रद्धालुओं पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं।

उस आक्रमणकारी का संबंध तजाकिस्तान से था और वह इस हमले में जख्मी हो गया था। इसके बाद अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। ईरानी गुप्तचर विभाग ने इस आक्रमणकारी के साथियों के बारे में जब जांच पड़ताल की, तो उसमें दोनों आरोपी दोषी पाए गए, जिनका संबंध अफगानिस्तान से था और वे वहां पर आईएसआईएस के कार्यकर्ता थे। उन्होंने इस हमले का आयोजन किया था। प्रवक्ता के अनुसार इस मुकदमे से संबंधित तीन अन्य व्यक्तियों को 25-25 वर्ष कैद की सजा दी गई है। गौरतलब है कि सुन्नी आतंकवादी संगठन ईरान में शियाओं के खून की दर्जनों बार होली खेल चुका है, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए हैं।

सऊदी अरब में एक दुर्घटना में 20 व्यक्ति मरे

इत्तेमाद (29 मार्च) के अनुसार सऊदी अरब में उमरा के यात्रियों को मक्का ले जा रही एक बस एक पुल से टकरा गई। इसके बाद इस बस में आग लग गई। इस आग में जलकर कम-से-कम 20 यात्री मारे गए और दो दर्जन से अधिक घायल हो गए। यह दुर्घटना असीर नामक शहर के समीप हुई, जोकि मक्का और मदीना के रास्ते में स्थित है। इस समय लाखों लोग उमरा अदा करने के लिए सऊदी अरब में मौजूद हैं। सरकारी टीवी चैनल 'अल एखबरिया' के अनुसार मरने वालों का संबंध कई देशों से हैं। सऊदी सरकार ने इस दुर्घटना की उच्चस्तरीय जांच करवाने की घोषणा की है।

फांसी की सजा पाने वाले चार आरोपी बरी

मुंबई उर्दू न्यूज (30 मार्च) के अनुसार 13 मई 2008 को जयपुर में सीरियल बम धमाके हुए थे, जिसमें 78 लोग मारे गए थे। इस मामले में चार लोगों को जयपुर सेशन कोर्ट ने दोषी करार देकर फांसी की सजा दी थी। आरोपियों पर आरोप था कि उनका संबंध प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिदीन से है और ये बम धमाके उन्हीं ने किए हैं। बाद में इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। अब उच्च न्यायालय ने इन चारों आरोपियों को बरी कर दिया है और कहा है कि जांच एजेंसियां इनके खिलाफ सबूत पेश करने में विफल रही हैं। जमीयत उलेमा के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने इसे इंसाफ की जीत करार दिया है। समाचारपत्रों के अनुसार राज्य सरकार इस फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने पर विचार कर रही है।

बेंगलुरु में अरबों की वक्फ संपत्ति कौड़ियों में बेचने का आरोप

सालार (13 मार्च) के अनुसार कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस के नेता मोहम्मद आबिद उल्लाह शरीफ ने यह आरोप लगाया है कि बेंगलुरु के वरथुर क्षेत्र में जामा मस्जिद के समीप दस एकड़ वक्फ भूमि, जिसका बाजार मूल्य एक अरब रुपये है, को मात्र 19 करोड़ रुपये में एक बिल्डर को बेच दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जिस व्यक्ति को इस वक्फ का मतवली बनाया गया है, वह फर्जी है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले को वक्फ बोर्ड द्वारा राजनीतिक कारणों से दबाने का प्रयास किया जा रहा है।

जबरन हिजाब उतारने वाले सात व्यक्ति गिरफ्तार

सियासत (31 मार्च) के अनुसार तमिलनाडु पुलिस ने वेल्लोर फोर्ट परिसर में एक महिला का हिजाब जबर्दस्ती उतारने के आरोप में सात व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक किशोर और कुछ मुसलमान भी शामिल हैं, जोकि ऑटोचालक हैं। पुलिस के अनुसार 27 मार्च को जब हिजाब पहनी यह महिला अपने एक दोस्त के साथ फोर्ट परिसर में पहुंची, तो उसे इन लोगों ने हिजाब उतारने पर मजबूर किया। जब इस संबंध में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, तो पुलिस ने इस संबंध में तुरंत कार्रवाई करते हुए दोषियों को गिरफ्तार कर लिया। वेल्लोर के पुलिस कप्तान ने बताया कि महिलाओं को परेशान करने वाले किसी भी व्यक्ति को नहीं बख्शा जाएगा और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

आतंकियों को विदेशी धन पहुंचाने के आरोप में पांच गिरफ्तार

मुंबई उर्दू न्यूज (8 मार्च) के अनुसार राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बिहार के फुलवारी शरीफ में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के मॉड्यूल की जांच के सिलसिले में केरल और कर्नाटक से पांच हवाला व्यापारियों को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी का दावा है कि इन हवाला कारोबारियों ने संयुक्त अरब अमीरात से आई विदेशी धनराशि को पॉपुलर फ्रंट तक पहुंचाया था। ये धनराशि देश में हिंसा फैलाने के लिए पॉपुलर फ्रंट के बिहार के नेताओं और कैडर को मुहैया कराई गई थी। इस संदर्भ में इस मॉड्यूल से संबंधित सात व्यक्तियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनके खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी जांच कर रही है।

अजान की अनुमति न मिलने पर इमाम की हत्या

अवधनामा (28 मार्च) के अनुसार मिस्र की राजधानी काहिरा में एक व्यक्ति ने इमाम पर चाकू से वार करके उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। अल अरबिया न्यूज के अनुसार यह घटना अलेक्जेंड्रिया में हुई। बताया जाता है कि हत्यारे के पिता ने इमाम से नमाज से पूर्व अजान देने की अनुमति मांगी थी। लेकिन, इमाम ने उसे अनुमति देने से इंकार कर दिया। इससे उसके बेटे ने उत्तेजित होकर मस्जिद में ही इमाम की हत्या कर दी। हत्यारे ने कहा है कि इमाम ने उसके पिता का अपमान किया था, जिसका उसने बदला लिया है।

RNI No. DELHIN/2017/72722

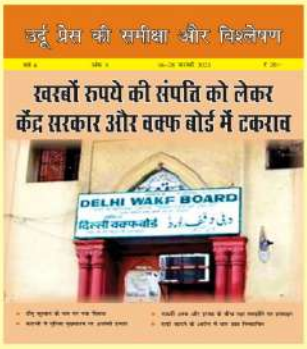

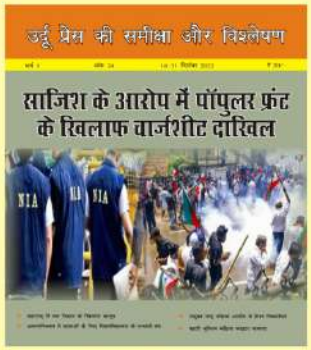

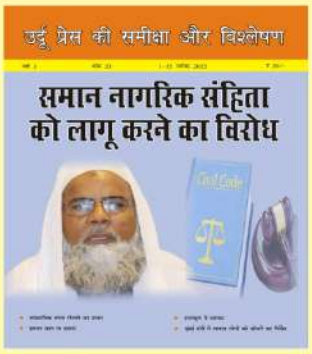

भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation
डी-51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 011-26524018
ईमेल : info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com
वेबसाइट : www.ipf.org.in